न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/67/2025	2025/130	03.06.2025	20.04.2026

1. मुबारिक पुत्र आस मौहम्मद जातियान मेव निवासी ग्राम शेरपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर।
2. इरफान पुत्र आस मौहम्मद जातियान मेव निवासी ग्राम शेरपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर।
3. इरफाइल पुत्र आस मौहम्मद जातियान मेव निवासी ग्राम शेरपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर।
4. रहीश पुत्र आस मौहम्मद नाबालिग जरिये सरपरस्त, आस मौहम्मद पिता खुद
5. इमरान पुत्र आस मौहम्मद जातियान मेव निवासी ग्राम शेरपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नौगांवा

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगावां (अलवर) निर्णय दिनांक 12.09.2024 वाके ग्राम शेरपुर, तहसील नौगांवा, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री योगेश चन्द हिमकर —वकील अपी0
01—श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 12.09.2024 आराजी खसरा नम्बर— हाल मिन नम्बर 675 रकबा 38 एयर में से 8 एयर से बेदखल करने व 8/— रूपये शास्ती आरोपित करने की बेजा आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के खिलाफ आराजी खसरा नम्बर— हाल 675 रकबा 38 ऐयर किस्म गैरमुमकिन चारागाह की राजकीय आराजी पर जो भूमि नाप में रकबा 8 गुणा बाई 22 वर्ग मीटर की दुकान व 4 गुणा 22 वर्ग मीटर का चबूतरा व 22 गुना 10 वर्ग मीटर का पक्का मकान व 24 गुणा 12 वर्गमीटर की दुकान कुर्सी तक बनाने का पटवारी हल्का ने अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करने की गलत रिपोर्ट की है और अपीलान्ट के नाम तहसीलदार नौगांवा ने जो नोटिस दिया है उसका जवाब लिखाकर अपीलान्ट्स ने तहसीलदार नौगांवा के अदालत में पेश किया और उन्होने अपीलान्ट्स को सबूत का पूरा मौका दिये बगैर फैसला जारी किया है जो खिलाफ कानून है और काबिल मंसूखी है।

सैटिलमैन्ट 2020 से पहले आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर—323 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाकै ग्राम शेरपुर में स्थित है जिसके बाद में नये नम्बर सैटिलमैन्ट में 385 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कायम किये गये। तत्पश्चात् सैटिलमेन्ट में ही खसरा नम्बर—385 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा के मिन नम्बर—675 रकबा 38 ऐयर वाकै ग्राम शेरपुर बनाये गये जिस पर हम अर्से दराज से काबिज होकर रिहायश कर रहे हैं तथा हमारे निवास पर बिजली का कनैक्शन लगा हुआ है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौंगावा ने अपने निर्णय पारित करने से पूर्व कोई बहस नहीं सुनी, तारीख पेशी दिनांक 12.09.2024 को अपीलान्ट ने साक्ष्य पेश किये और बाकी साक्ष्य पेश करने के लिये समय चाहा तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उपस्थिति के लिये हम अपीलान्ट से दस्तखत आर्डर शीट पर करा लिये और मुकदमा अगली कार्यवाही के लिये निर्धारित कर दिया। अपीलान्ट अपने अधिवक्ता के साथ बाहर आ गया बाहर आने रो पहले रीडर ने हमरो कहा की बाद में तारीख पता कर लेना। दिनांक 24.10.2024 को हम अपने वकील साहब रो मिले तो हमको पता लगा की फैसला उसी दिन कर दिया गया। जो फैसला बिना हमको सबूत का मौका दिये बिना हमारे बाला बाला फैसला कर दिया जो खिलाफ कानून है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् है। अपीलान्ट ने अपने समर्थन में राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियाँ पेश की जिन दस्तावेजात से अपीलान्ट का कब्जा हाल आराजी खसरा नम्बर–676 पर बुजुर्गो के समय से बखूबी साबित था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनन नहीं किया यह कि आराजी मुतनाजा पर अपीलान्ट का कब्जा अपने बुजुर्गो के समय से अर्थात् अर्से दराज लगभग 80 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है और आराजी मुतनाजा में रिहायश के कच्चे मकानात व दुकान बने हुई है जिनमें अपीलान्ट के बुजुर्गान व अपीलान्ट अर्से दराज से काबिज चले आ रहे है और इन मकान व दुकान के अलावा अपीलान्ट के पास कोई रिहायश हेतु मकान नहीं है। अपीलान्ट को बेदखल किये जाने से अपीलान्ट्स व उसके बच्चे बेघर हो जावेगे।

आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर–675 रकबा 38 एयर तहसीदार रामगढ द्वारा अपने नोटिस में गैरमुमकिन चारागाह दर्ज किया है, वह गलत व मौके के खिलाफ है ना ही ये भूमि कब्रिस्तान है बल्कि पुराने रिकार्ड में गैरमुमकिन बंजड दर्ज है और खसरा परिवर्तन सम्वत् 2030 व 40 में हमारे दादा नबी खाँ का नाम बतौर काश्तकार इस आराजी पर दर्ज है जिससे यह बखूबी साबित होता है कि हमारा कब्जा अतिक्रमी ना होकर अर्से दराज से कदिमी कब्जा हमारे बुजर्गो से चला आ रहा है जैसा कि पेश कर्दा रिकार्ड से साबित होता है। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर–675 रकबा 38 ऐयर आबादी की जमीन है जिसके आस पास रिहायश है उक्त भूमि कभी भी कब्रिस्तान नहीं रही। सम्मत 2019 से पूर्व यह आराजी बंजड कदीमी कागजात माल में दर्ज है। ऐसी स्थिति में सैटिलमैन्ट विभाग को इस जमीन की किस्म बदलने का अधिकार नहीं था। सम्वत 2041 सन् 1985 में आराजी खसरा नम्बर–385 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का नोटिस भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसीलदार रामगढ ने दिनांक 07.11.1985 को हमारे दादा नबी खॉ को नोटिस तहसीलदार रामगढ द्वारा दिया गया था जिस आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त कलक्टर अलवर की अदालत में अपील पेश की जिस अपील में हम अपीलान्ट के दादा नबी खाँ का पुराना कब्जा मानते हुए अपील रिमाण्ड की जिसका आज तक कोई भी निर्णय नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण रैस्ज्यूरिकेटा की जद में आता है। जिस फैसले की नकल दिनांक 11.10.1985 की प्रमाणित नकल संलग्न की जा रही है जिस पत्रावली को तलब करना अति आवश्यक है जिस हेतु एक प्रार्थना पत्र पृथक से दिया जा रहा है।

विवादित खसरा नम्बर– 675 मिन रकबा 38 ऐयर पर कब्जा कृषि वर्ष 2024 के दौरान नहीं किया बल्कि हमारा कब्जा हमारे पडदादा के समय से अर्थात् करीब 80 वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा है। तहसीलदार द्वारा दिये गये नॉटिस में कब्जा 2024 कृषि वर्ष में बताया गया है जो सर्वथा गलत है। सम्मत् 2012 में भी हमारे दादा का कब्जा तथा सम्मवत 2030 व 2040 की खसरा परिवर्तनशील में हमारे बाबा का नाम बतौर काश्तकार के अंकित है ये विवादित जमीन कभी भी कब्रिस्तान नहीं रही। मौके पर अर्से दराज से हमारे रिहायश का गंगा जमनी मकान व दुकान बनी हुई है। अपीलान्ट संख्या–4 रहीश नाबालिग बउम्र करीब 16 वर्ष है जिसको माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा ने बिना सरपरस्त बनाये उसके खिलाफ निर्णय देने में भारी कानूनी भुल की है। और उक्त निर्णय नाबालिग के खिलाफ नल एण्ड वाईड है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलान्ट्स द्वारा अपने अपील के समर्थन में DNJ (SC) 1995 Page No. 208, DNJ (RAJ. HC) 2002(3) Page No. 1134 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर फैसला तहसीलदार नौगांवा तारीख 12.09.2024 मंसूख फरमाया जावे और अपीलान्टान का कब्जा बहाल फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में कथन किया गया है कि वाके ग्राम शेरपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर (राज0) की सरकारी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 675 रकबा 0.38 है0 में से 0.08 है0 किस्म गै0मु0 कब्रिस्तानपर अप्रार्थी श्री मुबारिक, इरफान, इरफाईल, रहीश, इमरान पुत्रान आस मौहम्मद जातियान मेव निवासीयान ग्राम शेरपुर तहसील नौगांवा जिला अलवर (राज0) के द्वारा 8X22 वर्गमीटर की दुकान, 4X22 वर्ग मीटर चबूतरा, 22X10 वर्ग मीटर पक्का मकान व 24X12 वर्ग मीटर दुकान कुर्सी तक बनाकर अतिक्रमण बाबत् पटवारी हल्का सुन्हेड़ा द्वारा दिनांक 23.07.2024 को अतिक्रमण रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी अतिक्रमी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी अतिक्रमी का जवाब सन्तोषप्रद नहीं होने के कारण एवं राजकीय भूमि गैरमुमकिन कब्रिस्तान पर नाजायज अतिक्रमण होना सिद्ध होने पर उक्त आदेश पारित किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए न्यायसंगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थन्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद पर विचार किया गया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2024 को पारित आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर उक्त विवादित नामांतरण की नकल हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.10.2024 को पेश किया गया जिसकी नकल दिनांक 28.10.2024 को प्राप्त हुई। इसके उपरान्त अपीलांट ने सलाह मशवरा किया जाकर अपील दिनांक 18.12.2024 को पेश की गई। अपीलांट ने बिना देरी के निर्णय की जानकारी तारीख से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। दिनांक 12.09.2024 से दिनांक 09.12.2024 तक समय अपीलाण्ट नेकनियति युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने पर काबिल माफी तथा मुजरा दिये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा लगभग 2 माह विलम्ब से न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु अपीलाण्ट का अपील में हित निहित होने पर एवं माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर मूल अपील में वर्णित तथ्यों के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टांतों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलंब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 675 रकबा 38 एयर तहसीलदार रामगढ द्वारा अपने नोटिस में गैरमुमकिन चारागाह दर्ज किया गया है, वह गलत व मौके के खिलाफ है। ना ही यह भूमि कब्रिस्तान है बल्कि पुराने रिकॉर्ड में गैरमुमकिन बंजड दर्ज है और खसरा परिवर्तनशील संवत् 2023 व 40 में हमारा दादा नबी खां बतौर काश्तकार इस आराजी पर दर्ज है। जिससे यह बखूबी साबित होता है कि हमारा कब्जा अतिक्रमी का ना होकर अर्से दराज से कदिमी कब्जा हमारे बुजुर्गो से चला आ रहा है। उक्त भूमि कभी भी कब्रिस्तान की नहीं रही है। सम्वत् 2019 से पूर्व यह आराजी बंजड कदिमी कागजात माल में दर्ज है। ऐसी

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

स्थिति में सैटिलमैन्ट विभाग को इस जमीन की किस्म बदलने का अधिकार नहीं था। सम्वत् 2041 में आराजी खसरा नम्बर 385 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा का नोटिस भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार रामगढ के द्वारा दिनांक 07.11.1985 को मिन अपीलान्ट्स के दादा नबी खॉ को दिया गया था। तहसीलदार रामगढ के निर्णय के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर की न्यायालय में प्रस्तुत की गई। हम अपीलान्ट के दादा नबी खॉ का पुराना कब्जा मानते हुए उक्त अपील में न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.10.1985 के द्वारा रिमाण्ड की गई। जिसका अधीनस्थ न्यायालय में कोई निर्णय नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 675 रकबा 38 एयर गैर मुमकिन कब्रिस्तान राजकीय भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि कब्रिस्तान पर पक्का मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। यहाँ अपीलान्ट ने कोई ऐसा दस्तावेज व तथ्य पेश नहीं किये जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित आराजी अपीलान्ट के बुजुर्गो की है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अतिक्रमण होना पाया जाता है। विवादित आराजी की किस्म परिवर्तित हुई हो के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अनुतोष दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 12.09.2024 प्रकरण सं० 45/24 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)